DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

मास्टर प्लान-2041 दूर करेगा विकास की कई अड़चनें

घर से लेकर कामकाज तक के बढ़ेंगे मौके

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है। अब अगर इस प्लान को मिनिस्ट्री की भी मंजूरी मिलती है, तो राजधानी में कई बदलाव होंगे। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या होंगे और दिल्ली के लोगों को किस तरह प्रभावित करेंगे।

सस्ते घर किराये पर मिलेंगे: इस मास्टर प्लान में लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने के प्रावधान हैं। ये घर 25 से 60 स्क्वायर मीटर के होंगे। इस समय जो इलाके विकसित हो चुके हैं वहां घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए यहां सर्विस अपार्टमेंट, होस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग, वर्कर्स हाउसिंग जैसी सुविधा होगी।

होटल की इमारतें अधिक ऊंची बनेंगी: राजधानी की इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए होटलों में कमर्शल एक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसके लिए होटलों के एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है।

ग्रुप हाउसिंग का रीडिवेलपमेंट हुआ आसान: ग्रुप हाउसिंग का रीडिवेलपमेंट करना आसान बनाया गया है। इनका ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। साथ ही, दो हेक्टेयर से बड़े कमर्शल सेंटरों में 40 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शल एफएआर के साथ ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को इजाजत दी गई है।

दिल्ली के डिवेलपमेंट का रोडमैप

- किराए पर सस्ता घर मिलने में आसानी होगी, जो 25-60 स्क्वायर मीटर के होंगे
- होटलों और स्कूलों को ऊंची इमारत बनाकर अपग्रेड किया जा सकेगा
- ग्रुप हाउसिंग का रीडिवेलपमेंट करना होगा आसान

NEP के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जा सकेगा

नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने का भी प्रावधान है। स्कूलों का एफएआर बढ़ाया गया है। यानी स्कूल भी ज्यादा ऊंचे बन सकेंगे और इस तरह से अतिरिक्त कमरों में वे खुद को अपग्रेड कर सकेंगे। साथ ही स्कूल, गेस्टहाउस, होस्टल, धर्मशाला आदि के लिए ग्राउंड कवरेज और एफएआर भी बढ़ाया गया है। यानी ये भी उतनी ही जगह में अधिक ऊंचाई तक अपना फैलाव कर सकेंगे। साथ ही, आवासीय इलाकों में होस्टल सुविधा को बढ़ावा मिलेगा।

वेयर हाउस का अधिक इस्तेमाल हो सकेगा

वेयर हाउस (गोदाम) का लोग अब अधिक इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां पर लोग रिटेल, ऑफिस, बिग बॉक्स रिटेल जैसी गतिविधियां चला सकेंगे। अभी तक गोदाम का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए ही किया जाता था। ऐसे में गोदाम मालिकों के लिए यह काफी फायदेमंद होगा और राजधानी के आउटर एरिया में इसकी वजह से बिजनेस के स्कोप बढ़ेंगे।

गरीब महिलाओं को घर मिलने में होगी आसानी

जहां झुग्गी वहीं मकान (इन-सीटू पुनर्वास परियोजनाओं) के जरिये गरीब वर्ग और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को आवासीय सुविधा देने पर पूरा ध्यान दिया गया है। अभी फ्लैटों, आवास का आवंटन पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर करने का प्रावधान है। डीडीए के अनुसार कालकाजी में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के पक्ष में आवंटन करते समय यह देखा गया है कि कई मामलों में झुग्गी-झोपड़ी में केवल महिला ही रह रही हैं। ऐसे मामले में महिला लाभार्थियों के पास कानूनी दस्तावेजों जैसे तलाक की वैध डिक्री, मृत्यु प्रमाणपत्र या कोई घोषणा जैसी शर्तों में ढील देने की जरूरत महसूस हुई।

दिल्ली में पानी की हर बूंद को सहेजने का है प्लान

राजधानी में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इसलिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में ट्रीटेड पानी के अधिक उपयोग पर बल दिया गया है। इसके लिए दोहरी पाइपिंग प्रणाली का सिस्टम विकसित होगा। इस प्रणाली में एक ताजे पानी की पाइपलाइन और एक ट्रीटेड पानी की पाइपलाइन होगी। जरूरत के अनुसार आप ताजे पानी और ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही हरित रेटिंग, संसाधनों के अधिक उपयोग, सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रावधान किया गया है।

20 साल में पुरानी दिल्ली की रीडिवेलपमेंट स्कीम ही नहीं बनी

Sudama.Yadav@timesgroup.com

पुरानी दिल्ली को रीडिवेलप करने के लिए मास्टर प्लान-2021 में भी लंबा-चौड़ा प्लान था। लेकिन, 20 साल में एमसीडी इस एरिया के लिए रीडिवेलपमेंट स्कीम ही तैयार नहीं कर पाई। ऐसे में विकास की योजनाएं भी परवान नहीं चढ़ सकीं।

तीन साल में MCD को बनानी थी रीडिवेलपमेंट स्कीम: मास्टर प्लान-2021 साल 2007 में लागू किया गया। मास्टर प्लान के तहत चांदनी चौक में जितनी भी खतरनाक इंडस्ट्रीज थीं, उन्हें यहां से बाहर शिफ्ट करना था। वेयरहाउस और थोक बाजारों को पुरानी दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का प्लान था। ये सभी कवायदों को अमली जामा पहनाने के लिए एमसीडी को मास्टर प्लान लागू होने के तीन साल में स्पेशल रीडिवेलपमेंट स्कीम तैयार करनी थी। 2021 का मास्टर प्लान अब खत्म होने वाला है। लेकिन, आजतक एमसीडी ने पुरानी दिल्ली का कोई रीडिवेलपमेंट प्लान ही तैयार नहीं किया।

पिछला मास्टर प्लान रहा फेल, नहीं हो सके विकास के काम

पुरानी दिल्ली की सड़कों के लिए भी नहीं बना कोई प्लान: अजमेरी गेट, फाउंटेन चौक, फतेहपुरी चौक, कौड़िया पुल और खारी बावली को कनेक्ट करने वाली सड़कों को रीडिजाइन करना था। यह काम पीडब्ल्यूडी को करना था। मास्टर प्लान लागू होने के 10 साल में यह काम पूरा करने की डेडलाइन तय थी। लेकिन, पीडब्ल्यूडी ने आजतक पुरानी दिल्ली की किसी सड़क का रीडिजाइन प्लान ही तैयार नहीं किया।

रीडिवेलपमेंट स्कीम न होने से नक्शा भी नहीं होता पास: किसी मकान को दोबारा बनाना मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि नक्शा पास करने का कोई नियम ही मास्टर प्लान में नहीं है।

File Photo

'5 साल का ही बने मास्टर प्लान, 20 साल के लिए हो विज़न'

File Photo

एक्सपर्ट बोले, नदी-नालों की सफाई के प्रावधानों की कमी

■ विस, नई दिल्ली: पिछले मास्टर प्लान से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि अब जरूरत आ गई है कि राजधानी के मास्टर प्लान पांच साल के लिए बनने चाहिए। 20 साल का विजन बनाया जा सकता है। 20 साल का मास्टर प्लान बनने से उसे लागू करने में काफी समस्याएं आती हैं।

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर व पिछला मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया से जुड़े ए. के. जैन के अनुसार, दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में बना था। तब से अब तक 20 साल के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा यह होता है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती। 20 साल में अधिकारी रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें, पुराने अधिकारी ऐसा ही मास्टर प्लान बना गए। इसलिए जरूरत को समझते हुए 20 साल का विजन प्लान और 5 साल का मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए।

विशेषज्ञों की राय, ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ज्यादातर बातें पुरानी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, मास्टर प्लान में इस बार ज्यादातर प्रावधान 2021 वाले ही हैं। टीओडी, रीडिवेलपमेंट प्लान ये सब 2021 में भी थे। जबकि इस मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आया। राजधानी के ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रीन डिवेलपमेंट पॉलिसी के बारे में इस प्लान में कुछ नहीं है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि गांव कैसे बचेंगे, उनका विकास कैसे होगा? डीडीए में स्टाफ की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग के कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। राजधानी में बहुत सारे आर्किटेक्ट और प्लानर हैं। इन लोगों की आउटसोर्सिंग के जरिए मदद ली जा सकती है। वहीं प्लानिंग में जीरो पॉल्युटिंग इंडस्ट्री के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ये लागू नहीं हो पाते। इसलिए इस तरह के संशय वाले प्रावधान नहीं होने चाहिए।

क्लाइमेट चेंज पर कोई ठोस योजना नहीं

ए. के. जैन के अनुसार प्रदूषण व क्लाइमेट चेंज के लिए भी इस मास्टर प्लान में कुछ ठोस नहीं है। राजधानी में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, अर्बन हीट आइलैंड को कुछ कम करने का जिक्र होना चाहिए था। वहीं राजधानी में नदी और नाले कैसे साफ होंगे, इसके लिए स्पांज पॉलिसी की जरूरत है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए ठोस प्रावधानों की जरूरत थी। यमुना व साहिबी नदी (इसे अब नजफगढ़ नाले के रूप में जाना जाता है) को साफ करने के लिए प्रावधान जरूरी थे। इसमें से कुछ बिंदुओं का नए मास्टर प्लान में जिक्र जरूर है, लेकिन ये किस तरह होंगे यह साफ नहीं है।

मास्टर प्लान के क्या मायने, कैसे संवरेगी दिल्ली, समझें

डीडीए ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है। आखिर मास्टर प्लान क्या है और दिल्ली में विकास को आगे बढ़ाने में इसकी क्या अहमियत है? इन सब सवालों पर हमने डीडीए के अधिकारियों से हमने बात की:

Q मास्टर प्लान की जरूरत क्यों पड़ी?

मास्टर प्लान एक तरह से राजधानी के विकास का रोडमैप है। इसमें तय किया जाता है कि राजधानी में विकास कैसे होगा। अगले 20 साल में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। प्रकृति, पर्यावरण, आम लोग और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए दिल्ली की इकनॉमी को बढ़ावा देते हुए इसे तैयार किया जाता है।

Q मास्टर प्लान 20 साल के लिए ही क्यों बनता है?

दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में तैयार हुआ था। पिछला मास्टर प्लान 2021 तक मान्य था। नया मास्टर प्लान 2021 के अंत तक आ जाना चाहिए था। लेकिन इसे बनाना जटिल प्रक्रिया है। यह 20 साल का आइना होता है। इसलिए इसमें समय लग जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर की मंजूरी मिलने तक यह ड्राफ्ट ही रहेगा। माना जाता है कि 20 साल में शहर की आबादी और जरूरतें बदल जाती हैं। 20 साल में 2 बार जनगणना हो जाती है। जनगणना के आधार पर शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे 20 साल के लिए ही तैयार किया जाता है। इस बार यह 2 साल लेट हो चुका है।

NBT संग समझें

Q मास्टर प्लान-2021 में खामियां रहीं। कई बार संशोधन करने पड़े। इस बार गलतियां न दोहराने के लिए क्या किया गया है?

मास्टर प्लान एक बड़ी टीम मिलकर तैयार करती है। कोशिश की जाती है कि इसमें कमियां न हों। इसके लागू होने के बाद कुछ समस्याएं भी दिखती हैं। इन्हें बाद में संशोधन से दूर किया जाता है। इस बार का ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाने काफी समय लगाया गया है। पहली बार ड्राफ्ट प्लान के लिए डीडीए ने हर वर्ग जैसे स्टूडेंट, महिलाओं, व्यापारियों, कामगारों, आरडब्ल्यूए, एनजीओ, पर्यावरण एक्टिविस्टों से लंबी बातचीज की है। सबकी राय को इसमें शामिल किया गया है।

Q पुराने बसे इलाकों के रीडिवेलपमेंट की बात 2021 के मास्टर प्लान में भी थी। यह उससे कैसे अलग है?

इस बार रीडिवेलपमेंट के लिए नियम तय किए गए हैं। अतिरिक्त एफएआर देने की बात है। इससे अनप्लांड एरिया में भी ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी। एक बिल्डिंग में कई परिवार रह सकेंगे। जो जगह बचेगी, वहां अस्पताल, स्कूल, पार्क, चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को रीडिवेलप करने के लिए भी नियम आसान बनाए गए हैं।

Q पहली बार नाइट लाइफ इकनॉमी की बात की जा रही है। असुरक्षित दिल्ली में यह संभव होगा?

इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में नाइट लाइफ इकनॉमी की जरूरत काफी समय से है। यह एकदम से नहीं होगा। चलन धीरे-धीरे बढ़ेगा। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुलिस, स्ट्रीट लाइटों को बेहतर किया जाएगा। नाइट टाइम सर्किट की पहचान की जाएगी।

Q मास्टर प्लान बन जाते हैं लेकिन उन्हें लागू करने में समस्याएं आती हैं। उसके हिसाब से काम नहीं होते। क्यों?

इसके कई कारण हैं। दिल्ली में मल्टी एजेंसी सिस्टम है। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से भी यहां पेचिदगियां अधिक हैं। कुछ विभाग दिल्ली सरकार के पास हैं तो कुछ केंद्र सरकार के पास हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप भी बाकी शहरों की तुलना में अधिक है। जगह की काफी कमी है। लोगों ने नियम तोड़कर अपने घर और दुकानें बना ली हैं। ऐसे में तालमेल की कमी सबसे बड़ी बाधा रहती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
THURSDAY
MARCH 02, 2023

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023 ----------DATED----------

Hindustan Times

दिल्ली 2041 में न्यूयार्क को भी देगी टक्कर, रात में भी चलेंगे कारोबार

नए मास्टर प्लान में बुनियादी बातों का रखा ध्यान, खास फोकस पर्यावरण पर

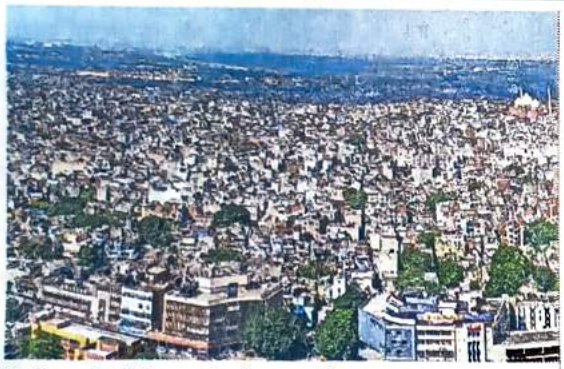

दिल्ली 2041 में अभी के स्वरूप से काफी बदल जाएगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। मास्टर प्लान 2041 के जिस मसौदे को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है, उसका पूरा जोर विकास, पर्यावरण की स्थिरता, ग्रीन इकोनमी व बुनियादी ढांचे पर है। इस प्लान के तीन लक्ष्य हैं। पहला लोगों को स्वस्थ वातावरण देना, भविष्य को ध्यान में रखकर अच्छा शहर बनाना व इकोनमी को बढ़ाना शामिल है।

डीडीए के इस मास्टर प्लान को कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि राजधानी न्यूयार्क जैसे शहर को टक्कर देगी। वहीं रात में चलने वाले कारोबारों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे नाइट इकोनमी को बढ़ावा देने के साथ ही इसको सुधारा जा सके।

मास्टर प्लान 2041 के पूरे मसौदे को दो खंडों और दस अध्यायों में बांटा गया है। इसके हर अध्याय में दिल्ली के विकास को लेकर ही प्लानिंग की गई है। पूरे मास्टर प्लान की खास बात ये है कि इसको बुनियादी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मास्टर प्लान को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि शहर के साथ ही व्यक्तिगत विकास में भी कहीं बाधा न आए। डीडीए की बोर्ड बैठक से मंजूरी के बाद अब केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इस प्लान को अंतिम मंजूरी देगा और इसे अधिसूचित करेगा। मालूम हो कि राजधानी का पहला मास्टर प्लान डीडीए एक्ट 1957 के तहत 1962 में लागू हुआ था। बता दें न्यूयार्क में हर तरह की सुविधाएं हैं। इसे विश्व केपिटल भी कहा जाता है।

ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 की खास बातें

- ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ब्लू-ग्रीन संपत्ति पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें बायोडायवर्सिटी पार्क, बाढ़ क्षेत्र की योजना, बावली और झीलों व तालाबों को पुनर्जीवित करना, नालों के किनारे को सुंदर बनाकर वहां साइकिलिंग और पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाना शामिल है। इसके अलावा बिल्डिंगों में भी ग्रीन ब्लू फेक्टर लेकर आना भी शामिल है।
- क्लीन इकोनमी के लिए इसमें खास प्लान है। आइटी हब, साइबर हब, नालेज बेस्ड इंडस्ट्री, आर एंड डी फेसिलिटी के लिए प्रस्ताव हैं। यह सभी नई इंडस्ट्री हाईटेक और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होंगी।
- इसमें स्टेटेजी हब और सेंटर के डेवलपमेंट का प्रस्ताव भी है। इसमें बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्स, टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट) के साथ मौजूदा डिस्ट्रिक सेंटर्स को अत्याधुनिक बनाना भी शामिल है।
- यमुना और उसके बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नदी के लिए एक विस्तृत रिवर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किया गया है।
- हेरिटेज जोन, आर्कियोलाजिकल पार्क, कल्चरल हब और अन्य संरक्षित हेरिटेज बिल्डिंगों के लिए नियम तय किए गए हैं। ताकि दिल्ली में इतिहास और कल्चर को बढ़ावा मिल सके।
- कल्चरल और एंटरटेनमेंट हब डेवलप करना इसमें शामिल है
- सिटी हब, सर्किट, प्लाजा, नाइट टाइम सर्किट को डेवलप करने के साथ नाइट टाइम इकोनमी को बढ़ावा देने के लिए कारिडोर आदि की पहचान करना
- प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ाकर हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करना। इसमें लेंड पूलिंग के साथ प्लांड व अनप्लांड एरिया के लिए रिजनरेशन प्लान शामिल हैं। इसके लिए एफएआर का प्रोत्साहन दिया जाएगा
- नान आनरशिप, रेंटल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काप्लेक्स को डेवलप करना। खास तौर पर यह मास ट्रांजिट एरिया के आसपास होंगे। इनमें सर्विस अपार्टमेंट, होस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग, वर्कर हाउसिंग जैसी सुविधा होंगी
- पार्किंग मैनेजमेंट के लिए प्लान के साथ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। इसमें ई वीकल और ई चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है
- उपचारित जल के इस्तेमाल को बढ़ाने, ड्यूल पाइपिंग सिस्टम, ग्रीन रेटिंग, रिन्यूबल एनर्जी, रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टेटजी बनाना
- क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और प्रदूषण से निपटने की तैयारियां भी इसमें शामिल हैं

80 ROAD SPOTS TO BE IMPROVED FOR SMOOTHER TRAFFIC DURING G20 MEET

Sanjeev K Jha
sanjeev.jha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Police has identified 80 spots on roads across the Capital for infrastructural development in order to regulate traffic in the city, officers aware of the development said on Wednesday. The plan is part of a wider beautification project being undertaken across Delhi, which will host G20-related meetings starting later this month till the summit meeting in September.

SS Yadav, special commissioner of police (traffic), said the main objective of the traffic police during the summit will be to reduce bottlenecks on the roads with the help of artificial intelligence tools. "We have so far identified 80 spots on various roads, where nine types of repairing and maintenance work are needed ahead of the G20 summit," he said.

The police will also launch a parking alert mechanism and rectify road markings and signages at 290 junctions ahead of the summit. "The parking alert system will inform commuters about parking availability in the areas concerned, to reduce the undue traffic load. More pelican signals will also be installed at crossings for safer movement of both pedestrians and vehicular traffic," Yadav said.

A senior Delhi Police officer, on condition of anonymity, said several issues plaguing these 290 junctions, such as road markings, signages and diversions, were discussed in a February meeting with different agencies, including the DDA, MCD and CPWD. "Taking note of these traffic issues, the lieutenant governor has categorically asked all the agencies to rectify the issues before July 1," said the officer.

During the summit, parking space for 1,200 vehicles will be arranged around the venues for officials and media persons attending the events, the officer said, adding that this figure will be over and above the parking slots for the foreign dignitaries.

"To reduce vehicular movement during the summit, we have sought help from police in Haryana and Uttar Pradesh, from where thousands of vehicles come to Delhi every day. If needed, we may also seal the borders linking Delhi with other states," the officer said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MARCH 2, 2023 ----------DATED----------

For trees cut in Delhi, Railways wants to carry out compensatory afforestation in Uttar Pradesh

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, MARCH 1

FOR TREES that are cut in Delhi, can compensatory afforestation be done in Uttar Pradesh? This was a suggestion by the Northern Railway, which recently applied for forest clearance for a railway terminal in the national capital and proposed to carry out compensatory afforestation in UP. The application has not yet been approved. A senior official of the forest department said it has been returned to the Northern Railway with some shortcomings.

The forest clearance application submitted in February is for the new Bijwasan terminal of the Northern Railway. According to documents submitted for clearance, a separate passenger and goods handling facility is proposed at Bijwasan to cope with "future traffic needs and decongest existing ones" for which the Delhi Development Authority (DDA) has "earmarked approximately 110 hectares of land at Bijwasan".

Last year, the DDA had requested the MoEFCC to allow compensatory afforestation in neighbouring states of Delhi, citing scarcity of land in the capital. *Archive*

The new terminal will be close to the IGI Airport.

Around 6.768 hectares of forest land in Southwest Delhi is proposed for diversion for the terminal.

In lieu of the forest land diverted, the railways has proposed to carry out compensatory afforestation on multiple patches of land in Uttar Pradesh. The compensatory afforestation land maps that have been submitted are for patches in Muzaffarnagar and Baghpat. A senior official of the forest department said compensatory afforestation land identified in Uttar Pradesh is around seven patches on around 6.84 hectares of land.

An official of the railways said compensatory afforestation land was identified in Uttar Pradesh since they could not find land for it in Delhi. "The DDA does not have land to give (for compensatory afforestation). So, we have applied and asked them to consider land in Uttar Pradesh. It has not been considered yet and it is not final. We were not getting in Delhi, so we had to try for the project... The proposal has now been sent back with some questions," the official said.

Last year, the DDA had requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) to allow compensatory afforestation over degraded forest land in neighbouring states of Delhi for projects of the Central government/PSUs in Delhi, citing scarcity of land in the capital.

The Forest Advisory Committee that examined this matter last year decided to consider the proposal on a "case to case basis". The minutes of the committee's meeting last year said: "The Committee recommended that in cases where raising of CA (compensatory afforestation) is not possible in the same State/UT where diversion of forest land is proposed due to scarcity of land and on account of any other valid reasons, the Ministry, in such cases, on case to case basis, may allow raising of CA in other States/UTs, in public interest."

In September last year, the DDA had written to the Northern Railway on non-availability of land for compensatory afforestation with regard to a proposal for a third and fourth line between Tilak Bridge and Anand Vihar.

In a letter dated September 5, 2022, the DDA wrote to the Northern Railway: "We regret to inform you that your request to facilitate 24.887 Hectare DDA land cannot be processed, as no land is available for Compensatory Afforestation with DDA."

According to the MoEFCC's Parivesh portal for submission of environment and forest clearances, this proposal of the railways, for forest clearance for the lines between Tilak Bridge and Anand Vihar, also remains pending.

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 2 मार्च 2023

डीडीए भूमि पर अतिक्रमण की जांच के लिए समिति बनाई

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के आरोपों की जांच के वास्ते एक समिति का गठन किया है। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोगों ने दक्षिण दिल्ली में डीडीए की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

याचिका में कहा गया है कि कब्जाधारी वहां डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तथा मवेशियों के कचरे को अवैज्ञानिक तरीके से फेंक रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। इसने कहा कि हमारे विचार में पहली बार शिकायत को स्थानीय अधिकारियों द्वारा देखा और जांचा जा सकता है। इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पुलिस उपायुक्त और जिलाधिकारी की समिति का गठन करते हैं। समिति स्थल का दौरा कर जानकारी एकत्र करेगी। उल्लंघन पाते हैं, तो दो महीने के भीतर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Thursday, March 2, 2023
DELHI

S--DATED----------------------

LPP: landowners in city's Sector 8-B form consortium

NEW DELHI
Landowners in north-west Delhi's Sector 8-B have formed a consortium six months after provisional notices were issued to them under the DDA's Land Pooling Policy. » Page 3

Landowners in city's Sector 8-B first to form a consortium under LPP

Consortium can collaborate with a developer entity or plan the development on its own, says a senior official; 40% of the pooled land to be surrendered to DDA for public infrastructure works

Muneef Khan
NEW DELHI

The landowners of Sector 8-B in north-west Delhi have formed a consortium six months after they were issued provisional notices for the same under the Delhi Development Authority's Land Pooling Policy.

Sector 8-B is part of Zone P-II, which includes the villages of Jindpur, Ibrahimpur and Tigipur.

A senior DDA official said that the formation of a consortium in a sector makes it eligible for development works.

In order to form a consortium, at least 70% of landowners have to agree to pool in their land and 70% of the land needs to be contiguous.

According to the LPP, 40% of the pooled land will be surrendered to the DDA for public infrastructure works.

"The consortium can collaborate with a developer entity or plan the development on its own. First, however, it has to draft and provide us (DDA) with a layout plan, which we will check and approve," the senior official added.

As per the policy, the DDA will issue a provisional development licence upon issuing the approval.

The urban body plays the role of facilitator in the LPP.

Timeline of DDA's land pooling scheme

2013: Land Pooling Policy notified

2018: Policy tweaked, notified again

2019: Applications invited for LPP

2022: Union Minister Hardeep Puri announces amendments to the policy and simultaneous issuance of conditional notices to remove roadblocks

2023: Landowners in Sector 8-B form a consortium

Policy roadblock

Since the LPP was first notified 10 years ago, no development works have begun in areas marked under the policy due to the roadblock in meeting the second eligibility criteria – 70% contiguity.

The LPP has identified 104 villages for land pooling, which are spread over 9,074 hectares of land. The policy's aim is to provide 17 lakh dwelling units for roughly 80 lakh people.

These villages have been divided into six zones and sub-divided into 129 sectors.

The DDA had issued conditional notices to landowners, who had expressed interest in the policy, on the condition that they ensure contiguity in land within 90 days. This deadline was extended several times by the urban body.

Announced last year

The issuing of conditional notices to form consortiums of landowners was one of the two measures announced by the Union Minister for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, in March 2022, to expedite the execution of the land pooling policy.

The other was to make amendments to the Delhi Development Act, 1957.

One of the proposed amendments is to make land pooling mandatory for the remaining landowners if 70% of owners have already agreed.

The other amendment grants power to the Centre to declare land pooling mandatory, even if the minimum criteria of 70% participation and 70% contiguity are not achieved.

The legislative process for the amendments is under way.

Sector 8-B is among the seven sectors where the notices were issued, said the senior official adding that negotiations are ongoing in the remaining sectors.

DDA publishes two lists

The urban body on Monday published two lists of landowners in areas marked under the policy.

The first listed the names of landowners who have consented to form consortiums.

The other list is of landowners who are yet to give consent. Those on the second list have been given 45 days to consent.

"The landowners who express the wish to form consortiums after 45 days will receive only 55% of the land, instead of 60%," said the senior DDA official.

Land pooling also found a mention in the recently released Master Plan for Delhi-2041.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NA अमर उजाला
नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 2 मार्च 2023

नगर निगम ने पार्क में चल रही अवैध डेयरी बंद कराई

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने केशवपुरम जोन के कोहाट एंक्लेव में पार्क में अवैध तरीके से चल रही डेयरी बंद कराई और पुलिस की सहायता से 75 पशुओं को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पार्क में चार पशु मृत पाए गए। निगम का पशु चिकित्सा विभाग डेयरी मालिक के खिलाफ पशुओं से क्रूरता व अवैध रूप से डेयरी चलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराएगा।

नगर निगम ने एक फरवरी से लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। इस दिशा में निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने बुधवार तक सभी 12 जोन में 1300 पशुओं को पकड़ा है। साथ ही, 16 डेयरियों को सील कर 104 मालिकों के चालान काटे हैं।

नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने टोडापुर, पान मंडी, नबी करीम, बुध विहार, रोहिणी सेक्टर-23, सभोली, आरके पुरम; सरिता विहार, मलकागंज, गंगा विहार, रोहिणी सेक्टर-16, वसंत विहार में कार्रवाई कर लावारिस पशुओं को पकड़ा है। पशुपालन विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही डेयरियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है।

अवैध डेयरियों का गोबर व पशुओं का मूत्र नालियों में बहता है, जिससे जल प्रदूषण और दूसरी समस्याएं हो रही हैं।

अवैध डेयरी चलाने वालों पर एफआईआर कराने की तैयारी

75 पशुओं को किया जब्त, चार पशु मृत मिले

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के अतिक्रमण की जांच के लिए एनजीटी ने पैनल बनाया

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने और डेयरी फार्मिंग के लिए उपयोग किए जाने के आरोपों की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोगों ने दक्षिण दिल्ली में डीडीए की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वहां डेयरी फार्मिंग का संचालन किया, जिससे प्रदूषण फैला। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने यह भी कहा कि संयुक्त समिति को उचित कदम उठाने होंगे और भूमि को मंजूरी मिलने के बाद, इसमें बाड़ लगाना होगा और वन विभाग के माध्यम से वनीकरण के उपायों को सुनिश्चित करना होगा ताकि पुनः प्रवेश का कोई और मौका न मिले। एजेंसी

कब्र खोदने पर रोक लगाई

नई दिल्ली। दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की डीएनए जांच के लिए कब्र खोदने के आदेश पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण इस बात का मूल्यांकन करने में विफल रहा कि इस तरह के परीक्षण का आदेश रूटीन में नहीं दिया जा सकता है। कब्र खोदने का आदेश विशेष परिस्थिति में ही दिया जा सकता है। यह पूरी तरह अनुचित है। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना का शिकार हुए एक व्यक्ति की डीएनए टेस्ट के लिए कब्र खोदने को कहा था, ताकि सत्यापित हो सके कि याचिकाकर्ता पीड़ित का कानूनी उत्तराधिकारी है या नहीं। न्यायमूर्ति ने कहा कि एक बार जब पुलिस ने विस्तृत जांच का निर्देश दे दिया है तो डीएनए परीक्षण के लिए एक मृत व्यक्ति की कब्र खोदने का आदेश देना पूरी तरह अनुचित है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 2 मार्च • 2023 | राष्ट्रीय सहारा

प्रवासी व बाहरी छात्रों के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट विकसित करेगा डीडीए

■ राजेश तिवारी

नई दिल्ली। एसएनबी

- नरेला, द्वारका एवं रोहिणी में तैयार फ्लैटों को स्टूडियो अपार्टमेंट में परिवर्तित करने के संकेत
- नाइट लाइट को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की योजना
- मास्टर प्लान 2041 में पर्यावरण पर विशेष फोकस

प्रवासी, बाहर से पढ़ने एवं रोजगार की तैयारी के लिए राजधानी आने वालों को सस्ते किराए पर आवास मुहैया कराने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2041 में भी अपनी इस योजना पर विशेष फोकस किया है। प्राधिकरण बड़ी संख्या में स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहा है, जो प्रवासियों एवं पढ़ने वाले युवाओं के लिए किराए के रूप में काम आएंगे। जरूरत पड़ने पर प्राधिकरण इस काम में निजी एजेंसियों की भी मदद लेगा। सूत्रों की मानें तो जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले डीडीए अपने कुछ फ्लैटों को स्टूडियो अपार्टमेंट योजना में परिवर्तित कर सकता है। दरअसल मास्टर प्लान-2041 की जनसुनवाई के दौरान यह मामला काफी जोर पकड़ा था कि रोजगार की तैयारी के लिए दिल्ली वाले युवाओं को दिल्ली में फ्रैंडली माहौल नहीं मिल पाता है। इसका मास्टर प्लान-2041 में प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण ने इस मास्टर प्लान को पास भी कर दिया है।

यह बहुमंजिला स्टूडियो अपार्टमेंट तमाम सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। जिससे युवाओं को पढ़ने, तैयारी करने का खुशनुमा माहौल मिल सके। प्राधिकरण इन अपार्टमेंट को बिक्री के बजाए किफायती किराए पर देगा। दरअसल डीडीए के पास रोहिणी, नरेला, द्वारका, सिरसपुर समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में फ्लैट तैयार पड़े हैं। इनमें से कुछ फ्लैटों को डीडीए स्टूडियो अपार्टमेंट में परिवर्तित कर सकता है। यह स्टूडियो अपार्टमेंट पीजी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे। प्राधिकरण इनमें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें इस बात का विशेष खयाल रखा जाएगा, कि इन स्थानों सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की मजबूत व्यवस्था हो, जिससे युवा छात्र आसानी से वहां पहुंच सकें।

डीडीए ने मास्टर प्लान में दिल्ली में नाइट लाइफ पर विशेष फोकस किया गया है। इससे साफ है कि डीडीए अब नाइट लाइफ को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगा। पर्यावरण को लेकर भी डीडीए ने विशेष फेसक किया है। इसके लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने पर प्राधिकरण गंभीरता से तैयारी कर रहा है। साफ-सफाई पर भी फोकस किया है। इसमें नालों की सफाई एवं यमुना नदी के दोनों तरफ हरित क्षेत्र विकसित करना है। हालांकि राजधानी कुछ बड़े नालों को लेकर पहले से ही काम चल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से नजफगढ़ ड्रेन शामिल है। नजफगढ़ ड्रेन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है।

अमर उजाला

मास्टर प्लान देगा दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

व्यापारियों को सुविधा के साथ जिला केंद्रों का किया जाएगा आधुनिकीकरण

राजधानी को आईटी और साइबर हब के रूप में किया जाएगा विकसित

नई दिल्ली। मास्टर प्लान 2041 दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देगा। इसके तहत आईटी व सेवा आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए डीडीए ने मास्टर प्लान-2041 के तहत राजधानी को साइबर हब व ज्ञान आधारित उद्योगों को विकसित करने का प्रावधान किया है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक हब और केंद्रों का विकास भी प्रस्तावित है। दिल्ली के व्यापारियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला केंद्रों को और आधुनिक किया जाएगा।

देश-विदेश में आई साइबर क्रांति के मद्देनजर डीडीए मास्टर प्लान-2041 के माध्यम से राजधानी को आईटी व साइबर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में मास्टर प्लान में विभिन्न स्थानों पर हब बनाने का प्रावधान किया गया है। अभी इसी तरह का काम एनसीआर के गुरुग्राम व नोएडा में हुआ है। दोनों शहरों में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों के कार्यालय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों स्थानों पर बड़ी कंपनियों के कार्यालयों में राजधानी के युवक व युवतियां नौकरी करने जाते हैं। डीडीए का मानना है कि साइबर हब बनने के बाद राजधानी में नौकरी के अवसर पैदा होंगे।

डीडीए ने सभी इंडस्ट्रीज को ज्ञान आधारित उद्योग के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है। इस तरह नई औद्योगिक गतिविधियां हाई-टेक होंगी। व्यापारियों की आवश्यकता के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कड़ी में जिला केंद्रों में कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और लिफ्ट दुरुस्त करने के साथ-साथ एक्सलेटर लगाए जाएंगे।

विरासत भवन की सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए डीडीए ने प्रावधान किया है। सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्रों के विकास को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।